

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. गार्ग सिंह कनिष्ठ लेखाकार  
कार्यालय संयुक्त निदेशक  
स्थानीय निधि अकेसन विभाग  
भारतपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री.सति.सुशी पूजा रावत्री क० लेखाकार  
कार्यालय निदेशक वार्षिक लेखा  
जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्रीमती सुमी रिया अंत कं लेखाकार  
कार्यालय आयुक्त कृषि विभाग  
जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. राकेश कुमार यादव कं. लेखाकार  
कार्यालय न्यू यरमैन फाइनेंशियल  
सर्विसेज डिलिवरी लिमिटेड, जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मवनेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. श्याम सुन्दर यादव का लेखाकार  
कार्यालय प्रमुख निदेशक  
अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम, जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री.मती/सुनील कुमार यादव क. लेखाकार  
कार्यालय - निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क  
विभाग, जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025

नोटिस

श्री. जीतू कान्ना क. लेखाकार  
कार्यालय - प्राचार्य, स्वर्णि न. न. सिंह मेडीकल  
कॉलेज, सिविलिसा शिक्षा विभाग, जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मवनेस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री.मति/सुनी.संजना आर्गिड.क.लेखाकार  
कार्यालय - परियोजना निदेशक -राज.  
एडस के डी.ए. सोबारी, जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री दीपक कुमार मिश्रा क. लेखाकार  
कार्यालय - निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स  
वेतनभर विभाग - जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंट एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री अशोक राम आह. क. लेखाकार  
कार्यक्षेत्र - वित्तीय सहायकार एवं मुख्य  
लेखाधिकारी जय उदाय एवं सीवरेज प्रबंध मंडल -  
जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. राजेश चौधरी क. लेखाकार  
कार्यविध - प्रबन्ध निदेशक राज. पर्यटन  
विकास निगम - जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मवनेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. दिवांशु चन्द क. लेखाकार  
लायलिय - आधुनिक - बाल अधिकारिता -  
जयपुर

**विषय:-** कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मवनेस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्रीमति/शुद्धी शशिपाला क. लेखाकार  
कार्यालय - उच्च निदेशक, राज. बेवरेज  
निगम लिमिटेड - जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंट एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री.शक्ति/सुनी दीपिका ब्रह्मदत्त, क.लेखाकार  
कार्यालय - नियंत्रण, स्टेट बैंक  
जयपुर - जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. सुषिल गांधी, क. लेखाकार  
कार्यालय - अधीक्षक, शिक्षण/निरुक्ति  
बालिका बूट - बाल अधिकारिता, जयपुर

**विषय:-** कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंट एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. सुनील कुमार मीणा क. लेखाकार  
कार्यालय - आयुक्त शिक्षा विभाग  
जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंट एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्रीमति/शुद्धी प्रियांका मीणा, क.लेखाकार  
कार्यस्थल - न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय (र)  
विधि विभाग - जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंट एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025

नोटिस

श्रीमती/सुनी कुशुम रामतीका के.लेखाकार  
कार्यविधे - विशिष्ट व्याख्याती (सीबीआर-III)  
व्यायालय - विधि विभाग जयपुर

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नही दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नही किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III/III)

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि.प्रशिक्षण/अलेसे-III/9123

दिनांक :- 10/11/2025


नोटिस

श्री. डोमेश कुमार चौपरा क. लेखाकार  
कार्यालय - पंजीयक सहायिता विभाग  
जयपुर

**विषय:-** कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु निर्धारित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभागीय आदेश संख्या 432/2025-26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 से 13.12.2025 तक आयोजित होने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण में दिनांक 10.11.2025 को महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मवनेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विभागीय आदेशों की पालना में आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आप विभागीय आदेशों की पालना में उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त होकर शीघ्र शामिल होना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)